न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 75/2018

वादी :– जगदीश पुत्र श्रीकिशन, जाति ब्राह्मण, निवासी भूरियासनी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता।
2. पटवारी हल्का, मेड़तासिटी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट

निर्णय दिनांक :–30.07.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत धारा 88 आर.टी. एक्ट व 136 आर.एल.आर. एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि तहसील मेड़ता के ग्राम मेड़ता की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 3673 रकबा 1.41 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3674 रकबा 1.20 हैक्टेयर कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद आयी हुई है। जिसमें वादी का नाम दाऊलाल पुत्र श्रीकिशन दर्ज है। चालु जमाबंदी की नकल साथ में पेश है। उक्त आराजीयान खसरा नम्बर 3673 रकबा 1.41 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3674 रकबा 1.20 हैक्टेयर कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर भूमि के पुराने खसरा नम्बर 3687 रकबा 16 बीघा 2 बिश्वा भूमि वादी के पिता जी श्री श्रीकिशन की खातेदारी की थी तथा वादी के पिता जी श्रीकिशन के देहान्त होने के बाद उक्त आराजी में वादी व वादी के दो अन्य भाई श्री उदाराम व रामनिवास के नाम बतौर खातेदार दर्ज किये गये। चूंकि वादी को घर पर बचपन में दाऊलाल के नाम से पुकारते थे सो उक्त फौतगी म्यूटेशन उक्त आराजी में वादी का नाम जगदीश के स्थान पर दाऊलाल दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

दिया गया जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम जगदीश है। बाद मे वादी व वादी के दोनों भाईयों की आपसी सहमति से बंटवाड़ा होने पर उक्त आराजी खसरा नम्बर 3687 रकबा 16 बीघा 2 बिश्वा भूमि वादी के बंट में रखी जिसका नामान्तरकरण संख्या 1763 की प्रमाणित प्रति इस वाद के साथ पेश है। वादी की अन्य खातेदारी भूमि जो कि मौजा भूरियासनी की सरहद में खसरा नम्बर 259 रकबा 1.11 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 285 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल रकबा 1.81 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है। जिसमें वादी का नाम जगदीश पुत्र श्रीकिशन दर्ज है। जो सही है। जिसकी चालू जमाबंदी नकल साथ में पेश है। वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र इत्यादि तमाम दस्तावेजात में नाम जगदीश पुत्र श्रीकिशन दर्ज है, जो सही है। उपरोक्त खातेदारी भूमि जो कि मौजा भूरियासनी की सरहद में खसरा नम्बर 259 रकबा 1.11 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 285 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल रकबा 1.81 हैक्टेयर भूमि एवं वादी के तमाम पहचान के दस्तावेजी साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित है कि वादी का वास्तविक व सही नाम जगदीश पुत्र श्रीकिशन है। जिस आधार से वादी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि जो कि मौजा मेड़ता की सरहद में खसरा नम्बर 3673 रकबा 1.41 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3674 रकबा 1.20 हैक्टेयर कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर भूमि है। जिसमें अपना नाम दाऊलाल पुत्र श्रीकिशन के स्थान पर अपना नाम जगदीश पुत्र श्रीकिशन घोषित करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 3673 रकबा 1.41 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3674 रकबा 1.20 हैक्टेयर कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर भूमि वादी की पैतृक सम्पति है तथा जिसमें वादी का नाम जगदीश के स्थान पर दाऊलाल दर्ज होना एक स्वभाविक भूल है जिससे वादी अपना नाम दाऊलाल के स्थान पर जगदीश दर्ज करवाकर रेकर्ड दुरूस्ती

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (नाग.)

Scanned by CamScanner

करवाने का अधिकारी है। अभी वर्तमान में वादी ने जब हल्का पटवारी मेड़ता से अपनी जमाबंदी प्राप्त की तो पता चला की वादी का नाम अभी तक दाऊलाल दर्ज है तब वादी ने प्रतिवादीगण को अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादी का नाम दुरूस्त करने से साफ इंकार कर दिया इसलिये यह वाद घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश है। उपरोक्त आराजी मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 3673 रकबा 1.41 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3674 रकबा 1.20 हैक्टेयर कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम जगदीश के स्थान पर दाऊलाल दर्ज होने से वादी को अपना नाम दाऊलाल के स्थान पर अपना वास्तविक व सही नाम जगदीश घोषित करवाने का अधिकारी है। जिससे प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादी के पक्ष में बनता है यदि वादी का नाम उपरोक्त आराजी में दाऊलाल के स्थान पर जगदीश नही किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति रूपयों पैसों में नही की जा सकेगी तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में बनता है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 12 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 खाता संख्वया 452, नामान्तरकरण संख्या 1763, जमाबंदी सम्वत् 2045 से 2048 खाता संख्या 439, भामाशाह कार्ड रामेश्वरी, राशन कार्ड जगदीश, आधार कार्ड जगदीश, मतदाता पहचान पत्र जगदीश, एसबीआई बैंक मेड़ता द्वारा जारी पासबुक जगदीश, जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 खाता संख्या 08, शपथ पत्र जगदीश की फोटो प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। तहसीलदार(भू–अभिलेख), मेड़ता ने अपने पत्रांक भू.अ./शुद्धि/2018/568 दिनांक 13.06.2018 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (शह.)

Scanned by CamScanner

पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय अभिशंषा के साथ भिजवायी है जिसमें लिखा है कि (1) यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मेड़ता की सरहद में खसरा नम्बर 3673 रकबा 1.41 हैक्टेयर खसरा नम्बर 3674 रकबा 1.20 हैक्टेयर कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम दाऊलाल पुत्र श्रीकिशन है। जो ग्राम मेड़ता के पुराने खसरा नम्बर 3687 रकबा 16 बीघा 2 बिश्वा भूमि प्रार्थी के पिता के देहान्त होने पर फौतगी नामान्तरकरण के द्वारा प्रार्थी के नाम आयी हुई है। प्रार्थी का बचपन का घर का नाम दाऊलाल था लेकिन इनके रेकर्ड में जगदीश था। (2) यह है कि प्रार्थी के नाम ग्राम भूरियासनी में खातेदारी भूमि आयी हुई है। जिसमें प्रार्थी का नाम जगदीश ही है। इसके अलावा प्रार्थी के भामाशाह कार्ड आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड इत्यादि समस्त रेकर्ड में जगदीश पुत्र श्रीकिशन ही है। अतः दाऊलाल व जगदीश एक ही व्यक्ति है। इसलिये ग्राम मेड़ता के खसरा नम्बर 3673 रकबा 1.41 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3674 रकबा 1.20 हैक्टेयर में दाऊलाल पुत्र श्रीकिशन के स्थान पर जगदीश पुत्र श्रीकिशन शुद्धि नाम की जाना उचित है।

4. विद्वान वकील वादी की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि में प्रार्थी नाम दाऊलाल अंकित है जबकि वास्तविक नाम जगदीश पुत्र श्रीकिशन है। बचपन का नाम दाऊलाल होने से फौतगी के नामान्तरकरण में प्रार्थी का बचपन का नाम दाऊलाल दर्ज कर दिया गया जबकि सभी सरकारी दस्तावेजों एवं अन्य खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम जगदीश अंकित है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट से होती है। अतः तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम खातेदारी में

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (नग.)

Scanned by CamScanner

दाऊलाल के स्थान पर जगदीश अंकित करने के आदेश प्रदान करावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम दाऊलाल अंकित है जबकि तहसीलदार की उपरोक्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर एवं वादी द्वारा प्रस्तुत सभी सरकारी दस्तावेजों में भी वादी का नाम जगदीश दर्ज है तथा अन्य खातेदारी भूमि के रेकर्ड में भी वादी का नाम जगदीश दर्ज है। अतः तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है।

आदेश

6. मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 3673 रकबा 1.41 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3674 रकबा 1.20 हैक्टेयर कुल रकबा 2.61 हैक्टेयर में वादी का नाम दाऊलाल पुत्र श्रीकिशन के स्थान पर दाऊलाल उर्फ जगदीश पुत्र श्रीकिशन दर्ज करने की स्वीकृति तहसीलदार मेड़ता की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है।

7. डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (नाग.)

Scanned by CamScanner